भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3019

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएमईजीपी के तहत मार्जिन मनी सब्सिडी

3019. **श्री प्रवीण पटेल:**
श्री मुकेश राजपूत:
कैप्टन बृजेश चौटा:
डॉ. भोला सिंह:
श्री चिन्तामणि महाराज:
श्री विजय बघेल:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री चंदूभाई छगनभाई शिहोरा:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री भृर्तहरि महताब:
श्री कंवर सिंह तंवर:
श्री नवचरण माझी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की है;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितनी ऋण राशि कवर/स्वीकृत की गई है और देश के विभिन्न क्षेत्रों (दक्षिण, मध्य, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी) में कटक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा, दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और दक्षिण कन्नड़ जिला सहित, किस प्रकार राजसहायता वितरित की गई है;

(ग) पीएमईजीपी के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक सृजित रोजगार परिणाम जैसे स्थापित सूक्ष्म उद्यमों की संख्या, कुल सृजित रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षे) और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार संचयी ऋण स्वीकृतियाँ और वितरित सब्सिडी का ब्यौरा क्या है;

(घ) जून, 2025 तक सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों और प्रशिक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की बीच जागरूकता फैलाने के लिए क्या पहल की गई हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, जालौर सिरोही लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार स्वीकृत परियोजनाओं, सृजित रोजगार और वितरित ऋणों की संख्या कितनी है;

(च) क्या वित्तीय सहायता की सीमा बढ़ाने, ऑनलाइन आवेदन को सरल बनाने या क्षेत्र में उद्यमियों को विपणन सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(छ) देवास-शाजापुर में ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों तक पीएमईजीपी की बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ज) सरकार का उत्तर प्रदेश में पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों को सब्सिडी की लंबित राशि कब तक प्रदान करने का प्रस्ताव है और ऐसे लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें अब तक उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के लिए नामित कार्यान्वयन एजेंसी है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत, ऋण प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये और सेवा/व्यापार क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक है। पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, इसलिए इसके लिए क्षेत्र-वार या राज्य-वार बजट आवंटन नहीं किया जाता है। निधियों का उपयोग उत्पन्न मांग और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋणों के आधार पर किया जाता है। पीएमईजीपी के अंतर्गत कटक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा; दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और दक्षिण कन्नड़ सहित क्षेत्र-वार संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और संस्वीकृत ऋणों की धनराशि **अनुलग्नक-I** में है।

(ग): पीएमईजीपी के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अर्थात वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 05.08.2025 की स्थिति के अनुसार) तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या, संस्वीकृत ऋणों की राशि, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन का विवरण **अनुलग्नक-II** में है।

(घ): उपलब्ध आँकड़े के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 04.08.2025 तक) तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

विवरण	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**
कुल	72,532	46,992

वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की संख्या नीचे दी गई है:

वित्त वर्ष	**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या**
वर्ष 2017-18 से वर्ष 2025-26 (दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार)	1,30,921

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों सहित भावी पीएमईजीपी लाभार्थियों के बीच जागरूकता प्रसार करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पिछड़े और कम कार्य-निष्पादन करने वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और युवा लाभार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम।
ii. पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, रेडियो जिंगल्स, टेलीविजन संदेश, अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में विज्ञापन तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों सहित प्रचार अभियान।

iii. पीएमईजीपी सहायता प्राप्त उद्यमों की सफलता गाथाओं की वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की जा रही हैं और दूरदराज के क्षेत्रों में स्कीम को बढ़ावा देने के लिए प्रचारित किया जा रहा है।

iv. युवाओं और भावी उद्यमियों की जागरूकता के लिए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु विभिन्न क्रियाकलापों पर वेबिनार आयोजित करना।

v. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन।

(ङ): वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जालौर सिरोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और देवास शाजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित पीएमईजीपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं, अनुमानित रोजगार सृजन और संवितरित ऋणों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-III** में है।

(च) और (छ): पीएमईजीपी के अंतर्गत देवास और शाजापुर सहित देश भर में उद्यमियों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता की सीमा बढ़ाने, ऑनलाइन आवेदन को सरल बनाने, उद्यमियों तक पहुंच और विपणन सहायता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना।

ii. आवेदन जमा करने से लेकर लाभार्थी के ऋण खाते में मार्जिन मनी सब्सिडी के समायोजन तक की पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए एक विशिष्ट पोर्टल।

iii. आवेदनों की गुणवत्ता बढ़ाने और अस्वीकृति को कम करने के लिए, तकनीकी विशेषज्ञों और बैंक अधिकारियों (सेवानिवृत्त) को नियुक्त किया गया है ताकि आवेदन चरण के दौरान भावी पीएमईजीपी लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जा सके।

iv. विभिन्न उद्योगों पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के 1,000 से अधिक मॉडल तैयार किए गए हैं और उन्हें पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

v. जनवरी, 2024 से हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर 11 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात गुजराती, मलयालम, पंजाबी, मणिपुरी, बांग्ला, मराठी, तमिल, असमिया, कन्नड़, उड़िया और तेलुगु में वास्तविक रूप में लाभार्थियों से पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

vi. पीएमईजीपी इकाइयों को ऑनलाइन विपणन सहायता प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल (https://www.ekhadiindia.com/) विकसित किया गया है।

vii. पिछड़े और कम कार्य-निष्पादन करने वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और युवा लाभार्थियों के लिए।

viii. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन।

(ज़): पीएमईजीपी के अंतर्गत, आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उसकी जाँच की जाती है और फिर उसे ऋण संबंधी निर्णय लेने हेतु बैंक को भेजा जाता है। बैंक परियोजनाओं का मूल्यांकन करते हैं और प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर ऋण संबंधी निर्णय लेते हैं। इसलिए, ऋण की अंतिम स्वीकृति और वितरण संबंधित बैंक के स्तर पर किया जाता है। सरकार उन सफल लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनकी परियोजनाओं को बैंकों द्वारा स्कीम के अंतर्गत निधि की उपलब्धता और निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत स्वीकृत किया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 07.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3019 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I:

पीएमईजीपी के अंतर्गत शुरुआत अर्थात वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 05.08.2025 तक) तक संवितरित क्षेत्र-वार मार्जिन मनी सब्सिडी और संस्वीकृत ऋणों की राशि **अनुलग्नक-I** में है।

क्षेत्र (जोन)	संस्वीकृत ऋण (करोड़ रुपए में)	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए में)
मध्य	6692.40	17883.03
पूर्व	4254.38	11425.89
उत्तर	4977.17	13256.67
उत्तर-पूर्व	2108.52	5692.20
दक्षिण	6180.60	16332.42
पश्चिम	3881.74	10375.54
कुल	**28094.81**	**74965.75**

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 05.08.2025 तक) के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत ओडिशा के कटक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और दक्षिण कन्नड़ जिले में संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और स्वीकृत ऋण की राशि:

राज्य/जिला/निर्वाचन क्षेत्र	संस्वीकृत ऋण (करोड़ रुपए में)	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए में)
छत्तीसगढ़	679.05	227.46
ओडिशा	934.25	301.90
कटक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	87.62	26.51
दक्षिण कन्नड़	111.78	37.48
दुर्ग लोकसभा क्षेत्र	41.51	12.96
कुल	**1854.21**	**606.31**

अनुलग्नक II

दिनांक 07.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3019 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक II:

पीएमईजीपी के अंतर्गत शुरुआत अर्थात वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2025-26 तक (05.08.2025 तक) सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, संस्वीकृत ऋणों की राशि, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सं:

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	संस्वीकृत ऋण (करोड़ रुपए में)	संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए में)	अनुमानित रोजगार सृजन
1	अंडमान निकोबार	2690	70.24	26.08	15234
2	आंध्र प्रदेश	40002	3691.74	1411.45	443454
3	अरुणाचल प्रदेश	4262	242.09	89.66	32265
4	असम	67445	2234.2	827.80	411657
5	बिहार	50946	3703.62	1371.79	421542
6	चंडीगढ़	518	22.63	8.38	3474
7	छत्तीसगढ़	30747	2054.86	766.70	249889
8	दिल्ली	1971	84.95	31.54	15572
9	गोवा	1313	91.57	34.16	13090
10	गुजरात*	35721	6364.29	2378.11	319668
11	हरियाणा	22054	1722.71	648.85	172287
12	हिमाचल प्रदेश	16827	1060.99	396.30	113922
13	जम्मू कश्मीर	103326	5519.64	2075.20	822876
14	झारखंड	28179	1554.13	580.45	195301
15	कर्नाटक	53262	4041.75	1518.41	434525
16	केरल	34509	1959.71	739.71	281153
17	लद्दाख	929	106.92	39.72	7432
18	लक्षद्वीप	93	2.98	1.10	368
19	मध्य प्रदेश	51317	4516.72	1684.65	426161
20	महाराष्ट्र**	56760	3919.68	1469.47	449954
21	मणिपुर	12344	743.48	275.36	85001
22	मेघालय	7373	379.81	140.67	50651
23	मिजोरम	9515	425.89	157.74	75354
24	नागालैंड	11255	773.05	286.32	93232
25	ओडिशा	48408	3069.05	1152.53	375017
26	पुदुचेरी	1090	42.65	15.83	6924
27	पंजाब	21311	1830.18	687.78	165733
28	राजस्थान	33867	2908.65	1089.41	278537
29	सिक्किम	1302	89.07	32.99	8666
30	तमिलनाडु	68634	4632.36	1753.52	640115
31	तेलंगाना	20019	1961.23	740.57	165538
32	त्रिपुरा	16639	804.61	297.99	126364
33	उत्तर प्रदेश	112205	10112.09	3791.88	975329
34	उत्तराखंड	23396	1199.36	449.17	179546
35	पश्चिम बंगाल	57435	3028.85	1123.53	482563
कुल		**1047664**	**74965.75**	**28094.812**	**8538394**

दमण और दीव सहित* * दादरा और नगर हवेली सहित*

अनुलग्नक-III

दिनांक 07.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3019 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-III:

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं, अनुमानित रोजगार सृजन और संवितरित ऋण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत परियोजनाओं की सं.			अनुमानित रोजगार सृजन			संवितरित बैंक ऋण (करोड़ रु.में)		
		2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान निकोबार	315	340	195	968	1080	488	5.48	3.63	2.60
2	आंध्र प्रदेश	5692	11473	7977	24584	44616	25992	349.11	464.40	388.10
3	अरुणाचल प्रदेश	250	243	144	1264	1352	1248	18.93	47.65	23.03
4	असम	3897	3734	3236	20768	19336	25360	160.76	172.97	245.96
5	बिहार	8119	12013	7715	35672	54696	40280	327.33	517.75	406.22
6	चंडीगढ़	18	15	15	120	80	40	1.20	0.60	0.69
7	छत्तीसगढ़	3900	3510	2951	20344	19032	14824	202.30	205.88	177.23
8	दिल्ली	128	81	52	576	400	208	12.72	9.03	4.71
9	गोवा	121	108	67	528	544	312	7.86	8.71	4.82
10	गुजरात*	4529	4488	2445	24568	24000	14264	652.93	867.36	549.82
11	हरियाणा	2487	2762	1925	12472	11184	6304	170.64	197.78	115.49
12	हिमाचल प्रदेश	1598	2072	1256	7440	7792	6368	85.04	98.49	79.16
13	जम्मू कश्मीर	26785	25606	17579	96184	120520	78904	647.84	762.75	646.40
14	झारखंड	2719	3551	2047	14808	16808	11616	130.62	138.33	97.36
15	कर्नाटक	8273	7944	6753	44944	37376	22712	436.17	428.29	255.60
16	केरल	6196	6401	5837	25032	27112	18080	197.89	212.81	159.18
17	लद्दाख	239	177	136	728	976	1080	10.15	15.79	17.27
18	लक्षद्वीप	1	1	2	16	0	0	0.07	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	9241	7777	835	47656	42336	21008	489.50	500.08	258.16
20	महाराष्ट्र**	6159	6131	5159	29000	22128	14856	356.49	329.53	283.55
21	मणिपुर	879	740	525	4360	2784	4864	39.49	21.89	40.73
22	मेघालय	886	1217	1027	2448	2240	8912	17.97	19.58	93.71
23	मिजोरम	574	414	366	3296	3208	3872	36.55	47.39	42.93
24	नागालैंड	1228	1320	678	3752	4136	10096	41.45	78.78	97.28
25	ओडिशा	5327	5174	4708	31040	23800	14936	289.76	252.58	144.25
26	पुदुचेरी	44	86	72	200	240	304	1.77	2.63	3.00
27	पंजाब	2410	3005	2368	12512	11752	7760	195.77	245.37	180.21
28	राजस्थान	3161	3781	3319	16296	13424	7328	308.30	334.97	195.70
29	सिक्किम	176	608	465	456	1056	2528	3.55	12.13	30.91
30	तमिलनाडु	11555	16562	12007	49120	54512	31592	483.07	536.54	327.11
31	तेलंगाना	4543	5833	3857	20320	20024	14800	276.08	291.92	223.62
32	त्रिपुरा	1002	957	720	5624	4704	5840	45.60	38.99	50.26
33	उत्तर प्रदेश	19678	19562	7421	92808	93512	44144	1022.38	1175.28	591.53
34	उत्तराखंड	2431	2176	1056	14424	10832	5872	125.06	113.18	65.12
35	पश्चिम बंगाल	3044	2903	2571	17008	15352	10872	200.04	200.43	143.66
कुल		**147605**	**162765**	**107486**	**681336**	**712944**	**477664**	**7349.87**	**8353.47**	**5945.40**

**** दमण और दीव सहित** **** दादरा और नगर हवेली सहित***

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जालौर सिरोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और देवास शाजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में संस्वीकृत परियोजनाओं, अनुमानित रोजगार सृजन और वितरित ऋणों की संख्या:

निर्वाचन क्षेत्र	वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25		
	परियोजनाओं की सं.	संस्वीकृत ऋण (लाख रु. में)	अनुमानित रोजगार सृजन	परियोजनाओं की सं.	संस्वीकृत ऋण (लाख रु. में)	अनुमानित रोजगार सृजन	परियोजनाओं की सं.	संस्वीकृत ऋण (लाख रु. में)	अनुमानित रोजगार सृजन
दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	148	1368.10	1184	98	1298.83	784	85	1321.21	680
जालौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	42	764.91	336	13	550.14	104	4	55.27	32
सिरोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	40	1167.90	320	11	358.71	88	16	605.95	128
देवास लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	115	1144.26	920	106	1031.86	848	46	496.04	368
शाजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	74	587.59	592	58	543.69	464	43	460.85	344